संख्या-33/2018/आ0मि0-182/96-आयुष-2-2018-39/2016 टी0सी0

प्रेषक,

यतीन्द्र मोहन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष् अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 17 मार्च, 2018

विषय- राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-29/2018/आ0मि0-162/96-आयुष-2-2018-टी0सी0, दिनांक 16 मार्च, 2018 के आंशित संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 16 मार्च, 2018 के प्रथम प्रस्तर में अवशेष केन्द्रांश रू0 138216000 (रूपया तेरह करोड़ बयासी लाख सोलह हजार मात्र) के स्थान पर रू0 107045600/- (रूपया दस करोड़ सत्तर लाख पैतालीस हजार छ सौ मात्र) पढा जाय।

2- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित हुआ समझा जाय।

3- उक्त शासनादेश संख्या- 29/2018/आ0मि0-162/96-आयुष-2-2018-39/2016 टी0सी0, दिनांक 16 मार्च, 2018 की अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगें।

भवदीय

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

संख्या-33(1)/2018/आ0मि0-182/96-आयुष-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- संयुक्त सचिव/निदेशक, आयुर्वेद, योगा एवं नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी मंत्रालय, आयुष भवन, बी-ब्लाक, जीपीओ काम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली।
3- मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्यन कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ
5- वित्तन नियंत्रक, होम्योकपैथी निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्तन अधिकारी, राज्यो आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3 वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग नियोजन अनुभाग-4 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं आयुष अनुभाग-1
8- गार्ड फाईल

आज्ञा से

(यतीन्द्र मोहन)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in